न्यायालय जिला कलक्टर, भीलवाड़ा

पीठासीन अधिकारी शिवप्रसाद एम. नकाते (आई.ए.एस.)

प्रकरण संख्या : 65/2018

1. लादूलाल पुत्र जयराम गुर्जर, निवासी कान्याखेड़ी, तहसील हमीरगढ़ जिला भीलवाड़ा	**बनाम**	1. नारायण लाल पुत्र गोपी लाल गुर्जर, निवासी कान्याखेड़ी तहसील हमीरगढ़ जिला भीलवाड़ा 2. ग्राम पंचायत खैराबाद, जरिये सरपंच ग्राम पंचायत खैराबाद, तहसील हमीरगढ़, जिला भीलवाड़ा
–प्रार्थी		–विपक्षीगण

निगरानी अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायतराज अधिनियम विरूद्ध निर्णय ग्राम पंचायत खैराबाद, पट्टा संख्या 04 दिनांक 07.11.2002

उपस्थित –

1. श्री रामेश्वर लाल जाट – अधिवक्ता प्रार्थी।
2. श्री देवेन्द्र सिंह भाटी – अधिवक्ता अप्रार्थी।

:निर्णय:

निर्णय दिनांक : 18.3.2021

निगराकार द्वारा जरिये अधिवक्ता निगरानी अंतर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायतीराज धिनियम, 1994 प्रस्तुत कर निवेदन किया गया कि प्रार्थी के स्वामित्व एवं आधिपत्य का एक पुश्तैनी ायदाद बाड़ा ग्राम कान्याखेड़ी, तहसील हमीरगढ़ जिला भीलवाड़ा के आबादी हल्के में निम्न पड़ौसों के ्य स्थित है, पूर्व में आम रास्ता, पश्चिम में मांगी लाल, उत्तर में जस्सा गुर्जर एवं दक्षिण में चांदी देवी र्जर का मकान। उक्त भूखण्ड पर निगराकार ने बाड़ कर रखी है व घास–फुस लकड़िया आदि डाल रखी । निगराकार काबिज होकर उपयोग करता चला आ रहा है। उक्त बाड़े से गैर निगराकार सं. 01 का ई हक वास्ता नहीं है फिर भी दिनांक 24.11.2017 को गैर निगराकार सं. 01 कुछ व्यक्तियों को लेकर ड़े पर आया और निगराकार को जबरन बेदखल करने का प्रयास किया। इस पर निगराकार के पुत्र ने विल न्यायाधीश (पश्चिम), भीलवाड़ा के समक्ष दावा पेश किया। उस दावे के जवाब के साथ गैर ाराकर सं. 01 ने पट्टे की प्रति पेश की जिससे जानकारी हुई कि, गैर निगराकार सं. 01 ने निगाकार बाड़े का पट्टा बना लिया। इस पर निगराकार के पुत्र ने पट्टे के संबंध में ग्राम पंचायत से पट्टे के ॉर्ड की प्रमाणित प्रतियां मांगी जिस पर दिनांक 22.12.2017 को ग्राम पंचायत द्वारा सूचित किया गया ग्राम पंचायत के रिकॉर्ड में पट्टा संख्या 04 दिनांक 07.11.2002 का पट्टा और मिसल उपलब्ध नहीं

गैर निगराकार संख्या 01 की ओर से दिनांक 07.08.2018 को एक प्रार्थना पत्र पेश किया गया जिसकी नकल अधिवक्ता निगराकार को दिलायी जाकर शामिल पत्रावली किया गया। गैर निगराकार संख्या 01 द्वारा प्रार्थना पत्र में अंकन किया गया कि प्रार्थी निगराकार ने इसी पट्टा संख्या 04 बाबत् पूर्व में एक निगरानी न्यायालय श्रीमान् में ही प्रस्तुत की जिसके प्रकरण संख्या 84/2013 निगरानी कायम होकर उक्त निगरानी निगराकारान दिनांक 31.07.2013 को न्यायालय श्रीमान् द्वारा खारिज फरमाई गई है, प्रमाण में निर्णय की छायाप्रति पेश है। प्रार्थी निगराकार को भलीभांति विदित है कि उक्त पट्टा संख्या 04 बाबत् न्यायालय श्रीमान् से ही निर्णय हो रखा है फिर भी निगराकार ने सही तथ्यों एवं न्यायालय के द्वारा इसी पट्टे बाबत् पारित निर्णय के बारे में छिपा यह निगरानी दोबारा प्रस्तुत की है, जो कानुनन पोषणीय न हो काबिल खारिजी के है। न्यायालय का अमूल्य समय व्यर्थ में बर्बाद न हो इस कारण विपक्षी द्वारा उठाई गई उक्त आपत्ति का निस्तारण जवाब पूर्व किया जाना न्यायहित में अत्यन्त आवश्यक है।

दिनांक 18.03.2021 को पत्रावली गैर निगराकार संख्या 01 द्वारा दिनांक 07.08.2018 को प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर बहस हेतु पेश हुई। अधिवक्ता उभयपक्ष उपस्थित। अधिवक्ता निगराकार/अप्रार्थी ने बहस में कथन किया कि निगराकार की निगरानी का आवेदन पत्र स्वीकार कर गैर निगराकार संख्या 01 को गैर निगराकार संख्या 02 द्वारा जारी पट्टा संख्या 04 दिनांक 07.11.2002 निरस्त कराया जावें। अधिवक्ता गैर निगराकार संख्या 01/प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि प्रकरण से संबंधित पट्टा संख्या 04 बाबत् पूर्व में एक निगरानी न्यायालय हाजा में ही प्रस्तुत की जिसके प्रकरण संख्या 84/2013 निगरानी कायम होकर उक्त निगरानी दिनांक 31.07.2013 को न्यायालय श्रीमान् द्वारा खारिज फरमाई गई थी जिससे यह निगरानी पोषणीय नहीं है। अतः निगराकार की निगरानी खारिज की जावें।

प्रकरण में उपभयपक्ष अधिवक्ता की बहस सुनी गई। पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजों का परीक्षण किया गया। बाद परीक्षण ज्ञात होता है कि प्रकरण से संबंधित ग्राम पंचायत खैराबाद पंचायत समिति सुवाणा के आदेश से पट्टा संख्या 04 निर्णय दिनांक 07.11.2002 बाबत् पूर्व में एक निगरानी इसी न्यायालय में प्रस्तुत हुई जिसके प्रकरण संख्या 84/2013 कायम होकर उक्त निगरानी दिनांक 31.07.2013 को न्यायालय हाजा द्वारा खारिज की गयी थी। निगराकार द्वारा प्रस्तुत प्रकरण में पक्षकार एवं विषयवस्तु समान होने से रेसज्यूडीकेटा का सिद्धान्त इस प्रकरण में लागू होता है जिससे प्रकरण न्यायालय में चलने योग्य नहीं है। अतः निगराकार द्वारा प्रस्तुत निगरानी स्वीकार योग्य नहीं ठहरती है। अतएव

आदेश

निगराकार द्वारा प्रस्तुत निगरानी विरूद्ध ग्राम पंचायत खैराबाद पंचायत समिति, सुवाणा के आदेश से जारी पट्टा संख्या 04 निर्णय दिनांक 07.11.2002 के संबंध में पूर्व में न्यायालय हाजा के समक्ष प्रस्तुत निगरानी प्रकरण संख्या 84/2013 दिनांक 31.07.2013 को न्यायालय हाजा द्वारा खारिज किया गया है। निगराकार द्वारा प्रस्तुत प्रकरण एवं पूर्व में न्यायालय हाजा द्वारा दिनांक 31.07.2013 को खारिज निगरानी प्रकरण संख्या 84/2013 दोनों के पक्षकार एवं विषयवस्तु समान है जिससे रेसज्यूडीकेटा का सिद्धान्त इस प्रकरण में लागू होने से पुनः न्यायालय में सुनवायी कर निर्णय पारित करना विधिसम्मत नही है। अतः निगराकार की निगरानी खारिज की जाती है।

प्रकरण बाद तामिल निर्णय शुमार हो। आदेश आज दिनांक 18/03/2021 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बाद हस्ताक्षर जारी किया गया।

न्यायालय जिला कलक्टर भीलवाड़ा (राज.)

(शिवप्रसाद एम. नकाते)
जिला कलक्टर
भीलवाड़ा

जिला कलक्टर
भीलवाड़ा